पत्र पेटेंट अपील

गुरदेव सिंह और गोपाल सिंह से पहले जे.जे.

शांति लाल सिक्का, अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य आदि,-प्रतिवादी।

1970 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 499।

18 जनवरी 1972.

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II - नियम 4.23 - क्या वरिष्ठता की मान्यता के लिए सेवा में ब्रेक को माफ करने की शक्ति प्रदान करता है - ऐसी शक्ति - चाहे सरकार में निहित हो - संयोगवश योग्यता के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता की मान्यता के लिए सेवा में ब्रेक को माफ करने का आदेश अन्य सरकारी सेवकों के अधिकारों को प्रभावित करना - ऐसे अन्य सरकारी सेवक - क्या आदेश को रद्द करने का अधिकार है।

निर्धारित किया गया कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II का नियम 4.23, सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप पेंशन लाभ देने के सीमित उद्देश्य के लिए ब्रेक की माफी का प्रावधान करता है और वरिष्ठता मान्यता के लिए ब्रेक को माफ करने की शक्ति से इसका कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि, चूंकि सेवा में ब्रेक की माफ़ी के विषय पर कोई विशिष्ट नियम नहीं है जो एक सरकारी कर्मचारी को उसकी वरिष्ठता के लिए उस ब्रेक की अवधि की गणना करने का अधिकार देता है और चूंकि मौजूदा नियम उस शक्ति के प्रयोग को रोकते या बाधित नहीं करते हैं, इसलिए यह निहित है कि सरकार के पास यह शक्ति है कि वह प्रशासनिक रूप से आदेश पारित कर सके या ऐसे उद्देश्य के लिए सेवा में रुकावट या रुकावट की माफी के लिए निर्देश जारी कर सके। पेंशन लाभ के उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस तरह के ब्रेक को माफ करने की शक्ति सरकार में निहित है। सेवा में विच्छेद को माफ करने का प्रश्न पूरी तरह से पदधारी, जिसकी सेवा में विच्छेद को माफ किया जाना है और विभागाध्यक्ष के बीच का है, जब तक कि विच्छेद की

माफी का आदेश दुर्भावनापूर्ण न हो। एक बार जब किसी कैडर के सरकारी कर्मचारी की सेवा में ब्रेक को माफ किए जाने का गुण-दोष के आधार पर औचित्य हो जाता है और इस तरह से माफ किया गया ब्रेक आकस्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से उस माफी के आदेश के परिणामस्वरूप उस कैडर के अन्य सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के पास उस आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। (पैरा 6, 7 और 11)

लेटर्स पेटेंट, 1969 के सिविल रिट संख्या 2993 में पारित माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस.संधवालिया के 4 मई, 1970 के फैसले और आदेश के खिलाफ पंजाब उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील - शांति लाल सिक्का बनाम राज्य हरियाणा और अन्य।

अपीलकर्ता के वकील कुलदीप सिंह, आर.एस. मोंगिया, जे.एम. सेठी और सरूप सिंह।
दाह सिनेह. प्रतिवादी संख्या 3 के लिए वकील।
एस. पी. जैन, राज्य सरकार के वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति गोपाल सिंह, - यह शांति लाल सिक्का द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ एकल न्यायाधीश के 4 मई, 1970 के फैसले से पेटेंट अपील है, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

(2) 5 मार्च 1941 को अपीलकर्ता को पंजाब सरकार द्वारा सिंचाई और बिजली विभाग में अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 मार्च 1950 को उन्हें सहायक भूमि सुधार अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। सहायक भूमि सुधार अधिकारी के रूप में कार्य करते समय, उनकी सेवाएँ 16 अक्टूबर, 1950 से समाप्त कर दी गईं। उन्होंने विभाग प्रमुख को बताया कि उनकी सेवाएँ समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। 13 दिसंबर 1950 को उन्हें भूमि सुधार पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार, 16 अक्टूबर, 1950 से 13 दिसंबर, 1950 तक उनकी सेवा में ब्रेक आया। आदेश, दिनांक 23 अप्रैल, 1952, अनुलग्नक 'ए' के अनुसार, 15 अक्टूबर, 1950 दोपहर से 13

दिसंबर, 1950 दोपहर तक सेवा ब्रेक माफ कर दिया गया। जब 20 अप्रैल, 1961 को अपीलकर्ता की वरिष्ठता तय की गई, तो सेवा में ब्रेक की इस अवधि की गणना नहीं की गई। हालाँकि, वरिष्ठता तय करने वाले आदेश में कहा गया था कि मुख्य अभियंता की मंजूरी के साथ सेवा में ब्रेक के नियमितीकरण के अधीन वरिष्ठता तय की गई थी। 31 जनवरी 1964 को, विभाग के सचिव ने पत्र अनुलग्नक सी' द्वारा मुख्य अभियंता को अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफी के लिए राज्यपाल की मंजूरी से अवगत कराया। उस संचार में, यह उल्लेख किया गया था कि अवकाश की माफ़ी पेंशन लाभ के सीमित उद्देश्य के लिए होगी। उस आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने सरकार को अभ्यावेदन दिया कि वरिष्ठता के लाभ के लिए सेवा में व्यवधान की माफी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। दिनांक 16 जुलाई, 1965 के पत्र, अनुलग्नक 'ई' द्वारा मुख्य अभियंता को न केवल पेंशन लाभ के प्रयोजन के लिए, बल्कि अपीलकर्ता की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए भी सेवा में ब्रेक की माफी के लिए राज्यपाल की मंजूरी से अवगत कराया गया था।

(3) पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1966 को अपीलकर्ता को हरियाणा राज्य आवंटित कर दिया गया। सहायक अनुसंधान अधिकारी/सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री डी.एस.चौहान, जिन्हें अपील में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल किया गया था, को भी उस राज्य में आवंटित किया गया था। उन्होंने सरकार को बताया कि अपीलकर्ता की सेवा में छूट की माफी ने उनकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और परिणामस्वरूप पंजाब के राज्यपाल का 16 जुलाई, 1965 का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। 21 अगस्त, 1969 को सिंचाई और बिजली मंत्री ने अपीलकर्ता से पंजाब के राज्यपाल द्वारा स्वीकृत उनकी सेवा में विराम की माफी को उचित ठहराने के लिए कहा। आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 1969, परिशिष्ट 'जी' द्वारा
हरियाणा राज्य ने 16 जुलाई, 1965 के राज्यपाल के आदेश को रद्द कर दिया। वह आदेश, जो मामले में विवादित आदेश है, इस प्रकार है: -
"पंजाब सरकार के ज्ञापन संख्या 5194-आईआरआर- स्था.11-65/11526, दिनांक 16 जुलाई, 1965 में,वरिष्ठता निर्धारण के लिए 16 अक्टूबर, 1950 से 13 दिसंबर, 1950 की अवधि के लिए सेवा में ब्रेक को माफ करते हुए, निहित आदेश को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वरिष्ठता के लिए लाभ का विस्तार वित्त विभाग के पत्र संख्या 9791-2एफआरआई-63/4233, दिनांक 29 अप्रैल, 1964 के

पैराग्राफ 5 और पंजाब सरकार सेवा नियमों के साथ टकराव में वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए भी इस तरह की माफी का प्रावधान नहीं है।"

(4) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफी को रद्द करने में हरियाणा राज्य द्वारा दिए गए दो आधार, अर्थात् पत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1964 और इस विषय पर नियमों का अभाव अप्रासंगिक है और सरकार को अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफी के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं देता है।

(5) पत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1964 को आक्षेपित आदेश में पंजाब सरकार, वित्त विभाग के सचिव की ओर से सिंचाई और बिजली विभाग सहित सभी विभागों के प्रमुखों को एक संचार के रूप में संदर्भित किया गया है। उस पत्र का विषय है 'एक राज्य सरकार के कार्यालय से हटाये गये और दूसरे ऐसे कार्यालय में नियुक्ति के लिए चयनित अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवा में रुकावट की माफी'। उस पत्र के पैराग्राफ 3 में, यह प्रावधान किया गया है कि जब सेवा में ब्रेक की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पेंशन के प्रयोजनों के लिए या छुट्टी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेक को माफ करने के प्रश्न की जांच इस विषय समय-समय पर जारी आदेशों के तहत की जाएगी और वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसके पैरा 4 में कहा गया है कि सभी मामलों में, जिनमें सेवा में ब्रेक माफ कर दिया गया है, उस आशय की एक प्रविष्टि संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में ब्रेक माफ करने वाले प्राधिकारी के संदर्भ का हवाला देते हुए की जाएगी। पैरा 5 में, यह प्रावधान है कि पिछली सेवा का लाभ नए पद पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, माफ कर दिया गया हो। इस पत्र के विषय के दायरे को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित तीन पैराग्राफ केवल तभी लागू हो सकते हैं, जब उस सरकार के किसी अन्य कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए एक छंटनी किए गए सरकारी कर्मचारी की सेवा में ब्रेक पर विचार किया जाना हो। दोनों पक्षों का यह मानना है कि अपीलकर्ता अस्थायी सरकारी सेवक के रूप में काम नहीं कर रहा था और न ही उसे एक कार्यालय से हटाकर बाद में दूसरे कार्यालय में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, इस पत्र का स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के मामले से कोई संबंध नहीं है।

(6) आक्षेपित आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है और बिल्कुल सही है कि वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए सेवा में विराम की माफी से संबंधित कोई विशिष्ट नियम नहीं है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II अध्याय IV के नियम 4.23 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें वह नियम आता है, जिसका शीर्षक है, 'पेंशन के लिए सेवा की गणना'। उक्त नियम 4.23 से पहले एक उप-शीर्षक है, 'डी-रुकावटों और कमियों का दान'। उस नियम में प्रावधान है कि 5 जनवरी, 1961 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के मामले में सेवा में रुकावट को इस शर्त के अधीन माफ किया जा सकता है कि रुकावट सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, कि सेवा से पहले की सेवा रुकावट की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और सेवा में रुकावट या रुकावट की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शर्त संख्या 2 के संबंध में यह प्रावधान है कि जहां दो या दो से अधिक व्यवधान हों, तो कुल सेवा, जिसके संबंध में व्यवधान माफ नहीं किए जाने पर पेंशन लाभ खो दिया जाएगा, पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यह नियम सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है। जब अध्याय के शीर्षक के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें यह होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप पेंशन लाभ प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए ब्रेक को माफ करने का प्रावधान करता है और वरिष्ठता मान्यता के लिए ब्रेक को माफ करने की शक्ति से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इस प्रकार, 29 अप्रैल, 1964 के न तो पत्र में अपीलकर्ता के मामले को शामिल किया गया है, जिससे उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सेवा में ब्रेक की माफ़ी के उसके दावे को रोका जा सके और न ही उस ब्रेक की अवधि के लिए सेवा में ब्रेक की माफ़ी के विषय पर कोई नियम हैं जो वरिष्ठता के लिए गिना जा रहा है।

(7) सेवा में ब्रेक को माफ करने की शक्ति के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध या निषेध के अभाव में, सरकार के पास पेंशन लाभ के उद्देश्य के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए इस तरह के ब्रेक को माफ करने की शक्ति है, जैसा कि उक्त नियम 4.23 के अंतर्गत आता है। यदि सेवा में ब्रेक की माफ़ी के विषय पर कोई विशिष्ट नियम नहीं है जो एक सरकारी कर्मचारी को उसकी वरिष्ठता के लिए उस ब्रेक की अवधि की गणना करने का अधिकार देता है और मौजूदा नियम उस शक्ति के प्रयोग को रोकते या बाधित नहीं करते हैं, तो सरकार के पास यह शक्ति निहित है। ऐसे उद्देश्य के लिए सेवा में रुकावट या रुकावट को माफ करने के लिए प्रशासनिक रूप से आदेश पारित करना या निर्देश जारी करना।

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क नहीं दिया गया है कि यदि सरकार द्वारा सेवा में व्यवधान को माफ करने की ऐसी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो मौजूदा नियमों में से किसी का उल्लंघन किया जाएगा। यह प्रश्न, कि क्या सरकार प्रशासनिक रूप से ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की हकदार है, संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इसे उनके आधिपत्य द्वारा निम्नानुसार देखा गया: -

"हम श्री एन.सी.चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चयन ग्रेड पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक नियम के अभाव में, सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए गए किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क को सही नहीं मान पा रहे हैं। यह सच है कि नियमों में चयन ग्रेड पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ ग्रेड अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सरकार चयन ग्रेड पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियम में संशोधन या उसका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।

(8) सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा घोषित उपरोक्त आधिकारिक घोषणा के सामने, उत्तरदाताओं के वकील ने स्वीकार किया कि ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रशासनिक रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार, एकमात्र प्रश्न, जिस पर आगे विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या 16 जुलाई, 1965 को राज्यपाल द्वारा पारित अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफ़ी के आदेश का गुण-दोष के आधार पर औचित्य था और क्या उस माफ़ी को रद्द करना उनके विवादित आदेश में शामिल था। , दिनांक 24 अक्टूबर 1969 मंगाया गया है।

---

[1] 1967 (1) एस.एल.आर. 906.

(9) अपीलार्थी की सेवा 16 अक्टूबर 1950 से समाप्त कर दी गई। सेवा समाप्ति की तिथि पर अपीलार्थी सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद पर कार्यरत था। सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पहले वह 5 मार्च, 1941 से अनुसंधान सहायक और बाद में भूमि सुधार पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। अपीलकर्ता की सेवा की तथाकथित समाप्ति से पहले, भूमि सुधार, सिंचाई और बिजली निदेशक की ओर से मुख्य अभियंता, सिंचाई कार्य, पंजाब को 25 फरवरी, 1964 को संबोधित पत्र लिखा गया था। यह अनुलग्नक 'डी' है। उस पत्र में यह दिया गया है कि जब अपीलकर्ता बिना किसी पद के रह गया, तो भूमि सुधार पर्यवेक्षक का पद रिक्त था और उसे सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पहले उस पद पर नियुक्त किया गया था। उस पत्र के अनुसार, वह 15 अक्टूबर, 1950 तक उस पद पर बने रहे, जब सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद को समाप्त करने के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। उस पत्र में कहा गया है कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए थीं, बल्कि उन्हें भूमि सुधार पर्यवेक्षक के उनके मूल पद पर वापस कर दिया जाना चाहिए था और उनकी सेवाओं को समाप्त करने का जारी किया गया आदेश अस्थिर था और इस आदेश के परिणामस्वरूप उनकी सेवा समाप्त हो गई थी। उस पत्र के द्वारा, सेवा में ब्रेक को नियमित करने और अपीलकर्ता को उस कठिनाई से राहत देने का अनुरोध किया गया था जिससे उसे उस ब्रेक को माफ किए बिना भुगतना पड़ेगा। जैसा कि उस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 4.23 के प्रावधानों के अलावा और उनके बावजूद भी ब्रेक की माफ़ी मांगी गई थी। राज्यपाल के आदेश में, दिनांक 16 जुलाई, 1965, अनुबंध 'ई', जो अंततः 25 फरवरी, 1964 के पत्र, अनुबंध 'डी' के अनुसरण में पारित किया गया था, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए ब्रेक को माफ किया जा रहा था।

(10) अपीलकर्ता की सेवा पुस्तिका में, जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता की ओर से फाइल पर रखी गई है, निम्नलिखित आदेश है, दिनांक 11 अक्टूबर, सिंचाई और बिजली निदेशक की ओर से अनिर्दिष्ट वर्ष के साथ :–

"सिविल सेवा नियम, खंड I, भाग I के नियम 8.133 के तहत 16 अक्टूबर 1950 से 13 दिसंबर 1950 तक 59 दिनों की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की गई और उसका लाभ उठाया गया, -

D.I.P.R.No.28635/74 पीएफ/आर, दिनांक 7 अक्टूबर, 1965 के तहत। वह ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन उसके छुट्टी पर जाने के लिए यह अवधि वेतन वृद्धि में गिनी जाएगी।"

तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, जिसके तहत सहायक सुधार अधिकारी के रूप में अपीलकर्ता की सेवा समाप्त करने का आदेश पारित किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आदेश अनुचित था और अपीलकर्ता की कोई गलती के बिना पारित किया गया था। . जैसा कि पत्र, दिनांक 25 फरवरी, 1964, अनुबंध 'डी' स्पष्ट रूप से बताता है, समाप्ति का आदेश अपनी प्रकृति में था और अंतिम प्रभाव प्रत्यावर्तन में से एक था। अपीलकर्ता वर्ष 1941 से भूमि सुधार पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था। 16 अक्टूबर 1950 को सहायक भूमि सुधार अधिकारी के पद को समाप्त करने पर, जो वह धारण कर रहा था, उसे भूमि सुधार पर्यवेक्षक के रूप में वापस किया जाना था और उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती थीं। . यही कारण है कि निदेशक, भूमि सुधार, सिंचाई और बिजली ने मुख्य अभियंता, सिंचाई कार्य, पंजाब को सिफारिश की कि अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के गलत आदेश के कारण अपीलकर्ता को होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। भूमि सुधार पर्यवेक्षक के निचले ग्रेड के पद पर उनके प्रत्यावर्तन के बजाय, वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए अपीलकर्ता की सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने विभाग की ओर से बताए गए ठोस और उचित कारणों से सेवा में ब्रेक को माफ कर दिया। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के अनुसार उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी की सेवा विच्छेद की अवधि को अवकाश के रूप में मानने का उचित तरीका अपनाया गया।

(11) उपरोक्त चर्चा से यह अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि सेवा में ब्रेक को माफ करने का हर औचित्य था। प्रतिवादियों के विद्वान वकील से चार साल से अधिक समय के बाद पारित अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफी को रद्द करने के आक्षेपित आदेश के औचित्य के लिए किसी आधार को इंगित करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कोई पिन-पॉइंट नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 16 जुलाई, 1965 को पारित सेवा में विच्छेद की माफी के आदेश ने उनकी वरिष्ठता को प्रभावित किया और परिणामस्वरूप, 1969 में प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से किए गए आदेश के लिए पुनर्गठन के बाद हर औचित्य मौजूद था। सेवा में विच्छेद को माफ करने का प्रश्न पूरी तरह से पदधारी, जिसकी सेवा में विच्छेद को

माफ किया जाना है और विभागाध्यक्ष के बीच का है, जब तक कि विच्छेद की क्षमा के आदेश को दुर्भावनापूर्ण होने के लिए चुनौती नहीं दी जाती है। . प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई है। एक बार योग्यता के आधार पर किसी कैडर के सरकारी कर्मचारी की सेवा में ब्रेक को माफ करने का औचित्य है और इस तरह से माफ किया गया ब्रेक सीसी के उस आदेश के परिणामस्वरूप आकस्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। -उस संवर्ग के अन्य सरकारी सेवकों के अधिकारों की परवाह किए बिना, उनके पास उस आदेश को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(12) परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, आक्षेपित आदेश, दिनांक 24 अक्टूबर 1969 को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता की सेवा में विच्छेद की माफी का आदेश, दिनांक 16 जुलाई, 965 बहाल हो गया है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा